सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री प्रहलाद सिंह, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 02/2018 दिनांक 24.02.2018

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 351
Date 16 APR 2018
AGM(IT)
SE (C)/SE
EE
Section

श्री प्रदीप कुमार राठौर — अपीलार्थी
सहायक प्रबंधक
कार्या.– उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 11.04.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार राठौर की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील अभ्यावेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2018 दिनांक 24.02.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार राठौर ने आवेदन दिनांकित 12.12.2017 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

Copy of all File/Folders/documents, Resolution, correspondence, Note sheets, Precis Note/Note for BOD related to order issued vide no. 01-05/1155 dtd. 06.12.2017.

if the information is more than 50 pages please allow inspecting the documents as per mutual convenience.

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 115 छायापृष्ठों में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा आधा–अधूरी जानकारी होने का उल्लेख कर असंतुष्टी व्यक्त करते हुए प्रथम अपील आवेदन इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उन्हें समस्त जानकारी/दस्तावेज प्रदान की जावें।

(3) उपरोक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–01/2018/13 दिनांक 22.03.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 23.03.2018** को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी श्री राठौर को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

निर्धारित तिथि 23.03.2018 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए, तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज अवलोकन उपरान्त चिन्हित दस्तावेज पृष्ठ क्रमांक 102 से 115 एवं पृष्ठ क्रमांक 170 से 174 तक की जानकारी तृतीय पक्ष की गोपनीय दस्तावेज है, जिसे प्रकट किये जाने के पूर्व संबंधित पक्षों से जिसकी जानकारी है से, उपरोक्त के संबंध में सहमति/असहमति प्राप्त किया जाना उचित होगा, ताकि प्राप्त अभिमतों के आधार एवं अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत प्रकरण में कार्यवाही कि जा सकें।

उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 05.04.2018 को नियत कर सूचना पत्र कमांक 16 दिनांक 24.03.2018 के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को भी सूचित किया गया, साथ ही प्रतिअपीलार्थी को प्रकरण में धारा 11(1) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। उक्त तिथि को अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालयीन बैठक में व्यस्त थे, जिसके फलस्वरूप प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतएव अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के मौखिक निर्देश पर प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.04.2018 को समय 12:30 बजे पुनः नियत की गई। निर्धारित तिथि को दोनो उभय पक्ष उपस्थित हुए, दोनो के तर्क श्रवण कर प्रकरण में आगामी सुनवाई पुनः दिनांक 11.04.2018 को नियत करते हुए लिखित सूचना उभय पक्षों को नोटिस क्रमांक 770 दिनांक 07.04.2018 के माध्यम से दी गई।

उक्त तिथि को उभय पक्ष उपस्थित हुए, दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। तत्पश्चात् संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सुनवाई की गई।

(4) उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 2441 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 27 दिनांक 09.01.2018 के माध्यम से यह **अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण उन्हें वांछित दस्तावेजों के अवलोकन हेतु किसी भी कार्यालयीन अवधि में पूर्व सूचना के उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाना उचित होगा। अवलोकन उपरांत आवेदक को वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध करा दी जावेगी।** तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 93 दिनांक 10.01.2018 के माध्यम

से आवेदक को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित किये जाने बाबत् सूचित किया गया।

(i) आवेदक द्वारा दिनांक 07.02.2018 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित की गई, अतएव कुल 115 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 230/—मात्र का भुगतान किये जाने बाबत् आवेदक को पत्र क्रमांक 393 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा सूचित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा अभिलेख शुल्क का भुगतान नगद के द्वारा किये जाने के पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 414 दिनांक 23.02.2018 के माध्यम से उन्हें कुल 115 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई।

(ii) उपरोक्त के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा दिनांक 23.02.2018 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए यह लेख किया गया कि पत्र क्रमांक 414 दिनांक 23.02.2018 में प्रदान की गई जानकारी में, उनके द्वारा चिन्हित की गई जानकारी में से पृष्ठ क्रमांक 102 से 115 एवं पृष्ठ क्रमांक 170 से 174 तक की 'जानकारी सम्मिलित नहीं है। जिसके संदर्भ में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 454 दिनांक 27.02.2018 के माध्यम से संबंधित प्रभाग को शेष जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् लेख किया गया।

(iii) जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रभाग यथा उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक की ओर से अपने पत्र क्रमांक 221 दिनांक 08.03.2018 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उल्लेखित पृष्ठ क्रमांक 102 से 115 एवं 170 से 174 तक की जानकारी व्यक्ति विशेष व परव्यक्ति से संबंधित गोपनीय जानकारी/दस्तावेज है। जिसे अधिनियम की धारा 8 (1)—(ञ) के तहत प्रकट किया जाना संभव नही है, क्योकि उक्त जानकारी लोकहित में समाहित नही है। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो, प्रकटन नही किया जाना है।

(iv) इसी अनुक्रम में लेख है कि केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/BS/A/2012/001202/3483 (Mr.G.Venkatesh Bhovi vs Sr. Supdt. of Post offices, Departement of Posts, Bangalore) के निर्णय दिनांक 18.09.2013 के अनुसार Caste Certificate/T.C./Caste (S.T.) Certificate/ Caste Verification Report/ Education Certificate इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी है जो लोकहित से संबंधित नही है। जिसे किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नही किया जाना है, आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक को वांछित पृष्ठों की जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1)—(ञ) के तहत उपलब्ध कराया जाना संभव नही है, अस्तु जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है।

(v) **कंडिका 03/टीप के परिपालन में उपरोक्त चिन्हित पृष्ठ क्रमांक 102 से 115 एवं 170 से 174 की जानकारी के प्रकटन के संबंध में संबंधित तृतीय पक्षों यथा श्री शशि पटेल (सहा. प्रबंधक), श्री मनोज के. (प्रबंधक) तथा श्री राजेश कुमार तांती (प्रबंधक), से अधिनियम की धारा 11(1) के तहत् उनकी व्यक्तिगत जानकारी (अंकसूची की प्रति) परव्यक्ति श्री राठौर को प्रकट किये जाने के संबंध में आवश्यक सहमति/असहमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र क्रमांक क्रमशः 233, 234 एवं 235 दिनांक**

24.03.2018 के माध्यम से लेख किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित तृतीय पक्षों द्वारा उनकी व्यक्तिगत जानकारी श्री प्रदीप कुमार राठौर को प्रकट किये जाने के संबंध में लिखित रूप से असहमति व्यक्त की गई है, जिसकी छायाप्रतियाँ प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई।

(5) निर्धारित तिथि को उभयपक्ष उपस्थित हुए। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे।

(ii) अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित किये जाने के पश्चात् भी उन्हें संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है, जिससे अपीलार्थी असंतुष्ट है। अतएव निवेदन है कि उपरोक्त कंडिका 4(ii) में वांछित जानकारी/दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करायी जावे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाये कि यदि उपरोक्त पृष्ठों की जानकारी गोपनीय प्रवृत्ति की थी तो उन्हें आवेदक को अवलोकन नहीं कराया जाना चाहिए था।

(iii) उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी विस्तृत रूप में थी जो आदेश क्रमांक 01-05/1155 दिनांक 06.12.2017 (सहायक प्रबंधकों की वरिष्ठता निर्धारण/संविलियन) से संबंधित फाईल का भाग था, जिसमें नोटशीट, उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं की प्रति, परिपत्र, संबंधित आदेश एवं उम्मीदवारों की अंकसूचियों की प्रति समाहित थी, अतएव संबंधित प्रभाग जिसके कार्यक्षेत्र के अधीन प्रकरण है, के द्वारा उपरोक्त फाईल में किसी भी तथ्य को छुपाये बगैर उसी रूप में आवेदक को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया। आवेदक द्वारा जानकारी चिन्हित किये जाने के उपरांत संबंधित प्रभाग द्वारा जनसूचना अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही बाबत् चिन्हित की गई जानकारी/दस्तावेजों में से व्यक्तिगत जानकारी (अंकसूची की प्रति) पृथक कर कुल 115 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई, जो नियमानुसार सशुल्क आवेदक को प्रदान की गई है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को कंडिका 4(ii) में उल्लेखित जानकारी प्रकट किये जाने के उद्देश्य से धारा 11(1) के तहत् कार्यवाही करते हुए संबंधित तृतीय पक्षों से उनकी सहमति/असहमति प्राप्त की गई, किन्तु संबंधित पक्षों द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपीलार्थी को प्रदान किये जाने पर असहमति व्यक्त की गई है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही न्याय संगत व विधि संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

(अ) जैसा कि सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उक्त जानकारी व्यक्ति विशेष व परव्यक्ति से संबंधित गोपनीय जानकारी/दस्तावेज है। अतः अधिनियम में यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक

उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें वृहत लोकहित सन्निहित न हो, प्रकटन नही किया जाना है। तथापि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन संबंध जानकारियाँ अपरिचित या संबंधहीन व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था एवं व्यक्ति को क्षति पहुँचेगी।

(ब) उक्ताशय के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा पुनः अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि वांछित पृष्ठ सहायक प्रबंधकों के संविलियन/वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित जानकारी है, जो उनके निजी हित से संबंधित न होकर समस्त सहायक प्रबंधकों के कंपनी में भविष्य निर्धारण से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी सहित समस्त सहायक प्रबंधकों की आगामी पदोन्नति प्रभावित होगी। चूंकि आदेश क्रमांक 01-05/1155 दिनांक 06.12.2017 के तहत् अपीलार्थी का हित प्रभावित हुआ है। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के अपील क्रमांक CIC/SG/A/2008/00248/1596 दिनांक 10.02.2009 नीरज कुमार विरूद्ध जे.एन.यू. एवं अपील क्रमांक CIC/SG/A/2011/001305 दिनांक 07.07.2011 सुश्री अलका पाहूजा विरूद्ध Govt. of Nct of Delhi के प्रकरणों में व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक अंकसूची के प्रकटन के संदर्भ में आदेश पारित किये गये हैं। अतएव प्रथम अपीलीय अधिकारी से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्क पर विचार कर अनुकूल आदेश जारी कर वांछित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

(7) उल्लेखनीय है कि यदि किसी ऐसी गोपनीय/व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन वृहत लोकहित में है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि यदि उपरोक्त जानकारी के प्रकटन से सम्भावित हानि की अपेक्षा वृह्त्तर लोकहित सधता हो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाए बशर्ते की सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित न हो। तथापि ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले अधिनियम की धारा 11 (1) में निहित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

चूंकि कंडिका 6 (ब)/टीप में अपीलार्थी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, उपरोक्त आदेश क्रमांक 01-05/1155 दिनांक 06.12.2017 के तहत् अपीलार्थी का हित प्रभावित हुआ है, अतः चाही गई जानकारी यथा पृष्ठ क्रमांक 102 से 115 एवं पृष्ठ क्रमांक 170 से 174 (अंकसूची की प्रति) उसके हित से संबंध रखती है। अतएव अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी में व्यापक लोकहित समाहित है। जैसा कि उपरोक्त कंडिका में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के द्वारा भी शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों को निजी जानकारी न मानते हुए व्यापक लोकहित में सार्वजनिक करने बाबत् आदेश प्रसारित किये गये हैं। अतएव उक्त 'जानकारी वृहत लोक कियाकलाप या लोकहित से सन्निहित है, जो प्रकट किये जाने योग्य है।

(8) जहाँ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी वांछित जानकारी व्यापक लोकहित में पाने का हकदार है, तद्नुसार यह अपील स्वीकार की जाती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि संबंधित प्रभाग से वांछित पृष्ठों की जानकारी एकत्र कर अपीलार्थी को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 07 दिवस के भीतर सशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतएव कंडिका 08/टीप के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 02/2018 दिनांक 24.02.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(प्रहलाद सिंह)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –02/2018/17 रायपुर, दिनांक 11/04/2018

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री प्रदीप कुमार राठौर, सहायक प्रबंधक, कार्या.–उप महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं. लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक,
रायपुर, पिन–492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(प्रहलाद सिंह)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700